UPKN010065522026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कानपुर–नगर।

उपस्थितः अनमोल पाल... एच0जे0एस0

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2238/2026

1. राम अवतार पुत्र साहब लाल, निवासी बेलाखेडा डोमनपुर महाराजपुर थाना महाराजपुर कानपुर नगर।
2. साहब लाल पुत्र भीखा निवासी म0नं0 81ए बेला खेडा डोमनपुर, थाना महाराजपुर, कानपुर नगर।
3. सुखदेवी पत्नी साहब लाल निवासिनी म0नं0 81ए बेला खेडा डोमनपुर, थाना महाराजपुर, कानपुर नगर।
4. रीतू देवी पत्नी राम स्वरूप निवासिनी म0नं0 396 बेला खेडा डोमनपुर, थाना महाराजपुर, कानपुर नगर।
5. गीता देवी पुत्री साहब लाल निवासिनी म0नं0 396 बेला खेडा डोमनपुर, थाना महाराजपुर, कानपुर नगर।
6. विद्या देवी पुत्री सूरज पाल निवासिनी गोविन्दपुर मदौकिपुर फतेहपुर।
7. प्रेम शंकर पुत्र शिस प्रसाद निवासी वाजिदपुर मोना नगर, शिवांस टेनरी, कानपुर नगर।
8. सुमन देवी पत्नी प्रेम शंकर निवासिनी म0नं0 87ई/4 वाजिदपुर शिवांस टेनरी, कानपुर नगर।
9. सावित्री पत्नी शिव नारायण निवासिनी म0नं0 290/72 त्रिवेणीगुरू का हाता जाजमऊ कानपुर नगर।
10. गुडडन देवी पत्नी राम स्वरूप निवासिनी म0नं0 401, मंगला बिहार–1 मामा पी0सी0ओ0 के पास, श्याम नगर, न्यू पी0ए0सी0 लाइन, कानपुर नगर।
11. मुकेश कुमार पुत्र साहेब लाल निवासी म0नं0 396 डोमनपुर, महाराजपुर अईमा, कानपुर नगर।

........आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

उ0प्र0राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर।

........विपक्षी

मु0अ0सं0–218/2025
धारा–191(2), 191(3), 115(2),
117(2), 110, 326(एफ) बी0एन0एस0
थाना–महाराजपुर, कानपुर नगर।

20.06.2026

1. प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्तगण राम अवतार, साहब लाल, सुखदेवी, रीतू देवी, गीता देवी, विद्या देवी, प्रेम शंकर, सुमन देवी, सावित्री, गुडडन देवी, मुकेश कुमार की ओर से मुकदमा अपराध सं0–218/2025, धारा–191(2), 191(3), 115(2), 117(2), 110, 326(एफ) बी0एन0एस0 थाना महाराजपुर, कानपुर नगर में अग्रिम जमानत हेतु संस्थित किया गया है। आवेदकगण का प्रथम

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.06.2026 को निरस्त किया जा चुका है।

2. संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी श्रीमती रूली निषाद द्वारा थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 01.06.2025 रात 01:00 बजे जब वह अपने घर पर सो रही थी तभी उसके ससुराल वालों ने आकर उसको घसीट कर पति राम औतार, साहब लाल, सुखदेई, गीता, सावित्री, मुकेश, अशोक, सुमन, गुडडन, रितू, विद्या, गुडडन और अन्य लोगों ने मिलकर रात 01:00 बजे राम औतार कुल्हाड़ी लेकर रूली के सिर पर सोते समय वार कर दिया। ये सब लोगों ने कुल्हाड़ी, हासिया, गढासा लेकर उसको, उसकी बहन सोनी, सारिका को सर पर मारा जिससे उनको सिर पर गम्भीर चोटे आयी और दाये हाथ की अगुलियों को तोड़ दिया। इसी स्थिति में शोर सुनकर गांव के लोगों ने आकर उनको बचाया।

3. उक्त तहरीर के आधार पर थाना महाराजपुर, कानपुर नगर में अभियुक्तगण राम औतार, साहब लाल, ननद गीता, ननद सावित्री, मुकेश, बहनोई अशोक, सुमन, गुडडन, रितू, विद्या, गुडडन व अन्य लोग नाम अज्ञात के विरूद्ध मु0अ0सं0–218/2025, धारा– 191(2), 191(3), 115(2), 118(1), 117(2), 326(जी) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दिनांक 01.06.2025 को समय 14:01 बजे अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोध धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के प्राविधानों की परिधि में नहीं आते है। आवेदक/अभियुक्तगण को अपनी गिरफ्तारी का पूर्ण भय है, क्योंकि अनावश्यक रूप से विवेचक एवं थाना महाराजपुर कानपुर नगर की पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी हेतु उनके घर पर लगातार दबिश दी जा रही है और वह किसी भी समय उन्हें गिरफ्तार कर सकते है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। वादी द्वारा उन्हें झूठा फंसाया गया है, उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। सत्यता यह है कि वादिनी मुकदमा जो कि एक काफी चालाक एव तेज तर्रार प्रवृत्ति की महिला है और आये दिन लोगों से बिना वजह लड़ाई झगड़ा करती है जिसके द्वारा कई बार अभद्रता की गयी विरोध करने पर रंजिश रखने लगी और इसी के चलते आवेदकगण के विरूद्ध असत्य तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। वादिनी एक शातिर व दबंग व्यक्ति है जिसके द्वारा थाना हाजा की पुलिस से मिलकर उक्त अभियोग झूठा दर्ज कराया गा है, जबकि आवेदकगण ने वादिनी आदि के विरूद्ध पहले से मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें वादिनी मुकदमा आरोपित है। सुखदेवी, विद्या देवी, गुडडन, प्रेमशंकर आदि लोग घटना के वक्त झगडे फसाद में नहीं थे, क्योंकि सुखदेव बेलाखेड़ा गांव में बीमार थी, विद्या देवी फतेहपुर जिले में रहती है, गुडडन देवी कोयला नगर में रहती है, प्रेमशंकर वाजिदपुर में रहते है, घटना के समय नहीं थे, फर्जी एवं झूठे तथ्यों के आधार पर फंसाकर

आपराधिक रंगत दिया गया है। आवेदकगण निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिन अपराधों का कारित होना अंकित किया गया है उक्त अपराध में सात वर्ष से कम की सजा का प्राविधान है। विवेचक द्वारा नियमित रूप से दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के विधिक निर्णय अरनेश कुमार बनाम स्टेट आफ बिहार व अन्य विधिक निर्णयों में स्पष्ट किया जा चुका है कि ऐसे अपराधों में अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने नवीनतम निर्णय सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी0बी0आई0 में स्पष्ट किया जा चुका है कि जिन केसो में सात वर्ष से कम की सजा का प्राविधान है उन अपराधों को श्रेणी–ए के अपराधों में रखा गया है और ऐसे अपराधों में अभियुक्त के हाजिर होने पर उसको जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक अन्तरिम जमानत पर छोडने के निर्देश दिये गये है। उनका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उक्त मुकदमे में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही सजायाफ्ता है, अतः अग्रिम जमानत स्वीकार की जाये।

5. राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये तर्क किया गया है कि दिनांक 01.06.2025 रात 01:00 बजे जब वादिनी अपने घर पर सो रही थी तभी उसके ससुराल वालों ने आकर उसको घसीट कर राम औतार, साहब लाल, सुखदेई, गीता, सावित्री, मुकेश, अशोक, सुमन, गुडडन, रितू, विद्या, गुडडन और अन्य लोगों ने मिलकर रात 01:00 बजे राम औतार कुल्हाड़ी लेकर रूली के सिर पर सोते समय वार कर दिया। सभी लोगों ने कुल्हाड़ी, हासिया, गढासा लेकर उसको, उसकी बहन सोनी, सारिका को सिर पर मारा जिससे उनको सिर पर गम्भीर चोटे आयी और दाये हाथ की अगुलियों को तोड़ दिया एवं उसके घर को आग लगा दिया। चोटहिल सोनी के सिर पर दो फ्रेक्चर पाया गया है। दौरान विवेचना वादिनी श्रीमती रूली निषाद, चोटहिल निहाल, श्रीमती सोनी, श्रीमती मोनी, सारिका उर्फ सोमवती, विष्णु, चश्मदीद साक्षी रामबाबू, स्वतंत्र साक्षी श्रीमती रामदुलारी, सूरज कुमार, अशर्फीलाल, कमलेश आदि के बयान लेखबद्ध किये गये है, जिनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

6. मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

7. केस डायरी के साथ संलग्न मेडिकल आख्या के अनुसार चुटहिल निहाल को निम्न चोटें पायी गयी है–

   1. According to the CT Scan Report GSVM Medical Collage
      A. Soft tissue Scalp and fascial injuries
      B. No intra-cranial abnormality.

2. IIend left leg finger has been crused.
3. Complain of pain in the centre of back

चोटहिल रूली–

1- According to the CT Scan Report GSVM Medical Collage
   A. Soft tissue Scalp and fascial injuries
   B. No intra-cranial abnormality.
2- Beting scar on the top of head
3- 02 x 03 cm abrassion on the latral left latral head
4- 04 x 05 cm contussion on the Rt lower leg
5- 12 x 01 cm contussin swelling on the lt lower leg on the latral side
6- complain of pain in Rt hand thumb
7- complain of pain on uper back.

चोटहिल सोनी–

1- According to the CT Scan Report GSVM Medical Collage
   A. Linear comminuted fracture are seen in right graeater wing of sphenoid soft tissue scalp and facial injuries are present.
   B. Fracture epidural haematoma is seen right sphenoidal side.
   2- Complain of pain on the right shoulder
   3- 01 x01 cm abrassion on the right knee

चिकित्सक के अनुसार चोटहिल सोनी को गम्भीर चोटें पायी तथा चोटें हार्ड एण्ड ब्लन्ट से आना कहा गया है एवं सिटी स्कैन की सलाह दी गयी है।

8. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा चोटहिल/वादिनी मुकदमा रूली निषाद का बयान लेखबद्ध किया गया है, जिसने उसने कथन किया है कि दिनांक 01.06.2025 की रात 01:00 बजे जब वह अपने घर पर सो रही थी तभी उसके ससुराल वालों ने आकर उसको खींच कर राम औतार, साहब लाल, सुखदेई उर्फ सुखदेवी, गीता, सावित्री, मुकेश, अशोक उर्फ प्रेमशंकर, सुमन, गुडडन, रितु, विद्या, गुडडन और अन्य लोगों ने मिलकर रात 01:00 बजे राम औतार कुल्हाड़ी लेकर रूली के सिर पर सोते समय वार कर दिया। यह सब लोग ने उसकी बहन सोनी, सारिका तथा पुत्र निहाल को कुल्हाडी हसिया, गड़ासा से उन सबको सिर पर मारा। जिससे उनके सिर पर गम्भीर चोटें आयी और दायें हाथ की उगलियो को तोड़ दिया है, शोर सुनकर गांव के लोगों ने आकर उनको बचाया जिसकी सूचना पुलिस के आने से पहले घर पर आग लगाकर भाग गये। इस घटना में उसे व मोनी वसारिका विष्णु निहाल तथा सोनी को चोटें आई। थाना महाराजपुर से सभी को मेडिकल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरसौल भेजा गया जहां पर उसे निहाल और सोनी की हालत खराब देखकर डाक्टर द्वरा हैलेट बिना मेडिकल किए रेफर कर दिया गया। सारिका, विष्णु, मोनी का मेडिको लीगल सरसौल में किया गया तथा दिनांक 01.06.2025 को ही सारिका को भी हालत खराब होने के कारण हैलेट रेफर कर दिया गया।

9. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा चोटहिल निहाल, श्रीमती सोनी, श्रीमती मोनी, सारिका व विष्णु का भी बयान लेखबद्ध किया गया है, जिन्होंने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।

10. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा चश्मदीद साक्षी रामबाबू का भी बयान लेखबद्ध किया गया है, जिसने अपने बयान में यह कथन किया है कि वह रूली का जेठ है। दिनांक 01.06.2025 की रात करीब 01:00

बजे हम अपने घर पर सो रहे थे शोर गुल सुनकर जाग गये और मौके पर जाकर देखा कि श्रीमती रूली निषाद व रूली के लडके निहाल, रूली की बहने सोनी मोनी सारिका उर्फ सोमवती व रूली के भाई विष्णु को राम अवतार, साहब लाल, सुखदेई उर्फ सुखदेवी, गीता, मुकेश, सावित्री, अशोक उर्फ प्रेमशंकर, सुमन, विद्या आदि सभी लोग मिलकर रूली व उनकी बहनों भाई व लड़के के साथ लाठी डण्डा हसिया, गडासा, कुल्हाड़ी आदि से मारपीट कर रहे थे, उसने व गांव के बहुत से लोगों ने किसी तरह से बीच बचाव कराया। बाद में यह लोग घर के बाहर पुराने घास फूस की रखी टाटिया में आंग लगाकर भाग गये। इस घटना में रूली, उनके लड़के निहाल, बहने सोना मोना सारिका उर्फ सोमवती तथा भाई विष्णु को काफी चोटे आयी थी।

11. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा डॉ0 रवीश साहू का बयान लेखबद्ध किया गया है, जिसमें उसने कथन किया है कि दिनांक 04.06.2025 को मजरूबा रूली उम्र 28 वर्ष जिनकी हैलट में मेडिकल पर्ची यूजीड : 20250273758 पर दिनांक 01.06.2025 को बनवाई गई और इलाज कराया गया तथा दिनांक 01.06.2025 को सरन का सीटी स्कैन कराया गया, उसके द्वारा ई 21 54 पर दिनांक 04.06.2025 को मेडिको लीगल किया गया जिसके आधार पर मजरूबा रूली की सभी एक लगायत 7 अदद चोटे साधारण प्रकृति की पाई गयी जो कुंद हथियार से पहुंचाई गई। मजरूबा सोनी 34 वर्ष पत्नी राज की मेडिकल पर्ची दिनांक 01.06.2025 का यू एच आई डी नं0 20250273759 पर बनवाई गयी दिनांक 01.06.2025 को हैलट में मजरूबा के सिर का सिटी स्कैन हुआ तथा सिर में दो जगह फ्रेक्चर पाया गया, उसके द्वारा दिनांक 04.06.2025 को ई 2152 पर मेडिको लीगल किया गया सिटी स्कैन के मुताबिक सोनी के सिर में दो जगह फ्रेक्चर पाया गया तथा दाहिने कंधे व दाहिने नी ज्वाइंट में दर्द पाया गया। मजरूबा सोनी की सिर की चोट ग्रीवीएस इंजरी जो कुंद हथ्यिार से पहुंचाई गयी पायी गयी तथा मजरूब निहाल का मेडिकल पर्ची हैलेट में दिनांक 01.06.2025 को यूएचआईडी 20250273760 पर बनवाकर इलाज कराया गया निहाल के सिर का 01 जून 2025 को सीटी स्कैन हैलेट में कराया गया सिर की चोट नार्मल पायी गई, उसके द्वारा दिनांक 04.06.2025 को ई नम्बर 2153 पर मेडिकोलीगल किया गया सिटी स्कैन तथा बाएं पैर के उंगलियां व पीछे कमर में दर्द पाया गया उपरोक्त चोटें साधारण प्रकृति की पाई गयी जो कुंद हथियार से पहुंचाई गयी।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शुक्ला (2014) 2 एस0सी0सी0 171** के मामले में धारित किया गया है कि धारा–438 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा शक्तियों के प्रयोग की प्रकृति असाधारण है, इसे मात्र अपवादिक स्थितियों में प्रयोग किया जाना चाहिए–

1. जहां यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है, अथवा
2. जहां यह धारित करने के लिए युक्ति–युक्त आधार है कि अपराध

के अभियुक्त को अन्यथा अपने स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने की संभावना नहीं है।

13. प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादिनी मुकदमा तथा उसके परिवार के सदस्यों को कुल्हाड़ी, हसिया, गडासा आदि से मारपीट कर गम्भीर चोटें कारित करने तथा घर में आग लगा दिये जाने का कथानक है।

14. प्रस्तुत प्रकरण में चोटहिलों के मेडिकल परीक्षण में चोटें पायी गयी है तथा चोटहिल सोनी के सिर जैसे मार्मिक भाग पर दो फ्रेक्चर पाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा आवेदकगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। आवेदकगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

15. दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य से प्रथम दृष्टया मामले में आवेदक/अभियुक्तगण की भूमिका प्रतीत होती है, अतः इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त को इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है।

16. अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्त की अग्रिम जमानत स्वीकार किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

17. आवेदक/अभियुक्तगण राम अवतार, साहब लाल, सुखदेवी, रीतू देवी, गीता देवी, विद्या देवी, प्रेम शंकर, सुमन देवी, सावित्री, गुडडन देवी, मुकेश कुमार का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

18. आदेश की एक प्रति रिमाण्ड प्रपत्र अथवा मूल पत्रावली में संलग्न किए जाने हेतु सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

(अनमोल पाल)
आई.डी. यू.पी.1880
सत्र न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

दिनांकः 20.06.2026
कुतबुल्लाह

Digitally signed by ANMOL PAL
Date: 2026.06.20 17:02:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court